

प्रजाति विमोचन विवरणिका

| क्रं सं | फसल का नाम | प्रजाति | पेज नं |
|------------|------------|-----------------------|--------|
| 1 | मसूर | शेखर-7 | 1.3 ✓ |
| 2 | गेहूँ | के-1616 | 1.5 ✓ |
| 3 | जौ | के0बी0-1425 | 1.5 ✓ |
| 4 | सरसों | आजाद महक | 17 ✓ |
| 5 | मसूर | शेखर-8 | 37 ✓ |
| 6 | तोरिया | आजाद चेतना | 38 ✓ |
| 7 | अलसी | एल0सी0के0-1021 | 39 ✓ |
| 8 | मूँगफली | अवतार | 48 ✓ |
| 9 | अलसी | राजन एल0सी0के0 | 48 ✓ |
| 10 | जौ | प्रखर के-1055 | 60 ✓ |
| 11 | मूँगबीन | अरुण के0एम0-2328 | 77 ✓ |
| 12 | अलसी | सूर्य एल0सी0के0-1404 | 90 ✓ |
| 13 | गेहूँ | के0-1317 | 98 ✓ |
| 14 | मसूर | शेखर-4 | 100 ✓ |
| 15 | मसूर | शेखर-5 | 100 ✓ |
| 16 | अलसी | उमा | 107 ✓ |
| 17 | अलसी | इन्दू | 107 ✓ |
| 18 | मसूर | कृति के0एल0बी0-2008-4 | 115 ✓ |
| 19 | मसूर | कृष के0एल0एस-09-3 | 115 ✓ |
| 20 | गेहूँ | के0-607 | 118 ✓ |
| 21 | गेहूँ | के0-1006 | 122 ✓ |

Director
Agricultural Experiment Station
C.S. Azad Univ. of Agri. & Tech.
Kanpur

अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, राज्य बीज उप समिति की अध्यक्षता में
दिनांक 23 जून, 2021 को आयोजित राज्य बीज उप समिति की 33वीं बैठक का कार्यवृत्त

अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, राज्य बीज उप समिति की अध्यक्षता
में दिनांक 23 जून, 2021 को जूम के माध्यम से राज्य बीज उप समिति के सदस्यों एवं सम्बन्धित
ब्रीडर/वैज्ञानिकों के साथ सम्पन्न 33वीं बैठक में उपस्थित राज्य बीज समिति के सदस्य एवं सम्बन्धित
अभिजनक को निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

(i) राज्य बीज विमोचन उप समिति एवं राज्य बीज उप समिति की बैठक प्रत्येक छमाही या जब 5-6 प्रजातियों
के प्रस्ताव/प्रपोजल प्राप्त हो जाय, तो आयोजित की जाय।

(ii) समिति की बैठक आयोजित किये जाने से पूर्व, प्रजातियों के प्रस्ताव/प्रपोजल समिति के सदस्यों को
तकनीकी अवलोकन हेतु उपलब्ध कराये जाय।

2- दिनांक 03 फरवरी, 2021 को सम्पन्न राज्य बीज विमोचन उप समिति की 58वीं बैठक में 19 फसल
प्रजातियों को विमोचन हेतु संस्तुत किया गया था, के साथ ही दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को राज्य बीज
विमोचन उप समिति की 57वीं बैठक में संस्तुत धान प्रजाति नगीना वल्लभ बासमती-1 (एन.वी.बी.-1)
(आई.टी.-25404) के सम्बन्धित अभिजनक द्वारा राज्य बीज उप समिति की 32 वीं बैठक में उपस्थित न
होने के कारण, इस प्रजाति को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में 33वीं
बैठक में यह प्रजाति समिलित की गयी है। विभिन्न फसलों की कुल 20 प्रजातियों के सम्बन्धित
ब्रीडर/वैज्ञानिकों द्वारा विमोचन हेतु प्रस्तुतीकरण किया गया।

3- समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से मटर, चना, मसूर, अलसी, तिल, गेहूँ, और
तथा धान की कुल 17 निम्नलिखित नवीन प्रजातियों के विमोचन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया:-

| क्र.सं. | फसल | प्रजाति | प्रस्तावक संस्था | प्रजातियों के गुण |
|---------------------------|-----|--------------------------------------|---|---|
| दलहनी फसलों की प्रजातियाँ | | | | |
| 1 | मटर | आई.पी.एफ.टी.-16-3 | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान, कानपुर | सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 115-125 दिन, पौधे की ऊंचाई- 60-80 सेमी, औसत उपज- 16.46 कु0/हें0, पाउडरी मिल्ड्यू एवं रस्ट रोग के प्रति अवरोधी, गोल, मध्यम आकार, स्मृथ एवं सफेद दाने, उत्तर प्रदेश के मटर उत्पादित क्षेत्र लिए। |
| 2 | मटर | नरेन्द्र मटर-1 (एन.टी.पी.-2014-4) | एन.टी.यू.ए.टी., कुमारगंज, अयोध्या | सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 115-118 दिन, पौधे की ऊंचाई- 68 सेमी, औसत उपज- 13.83 कु0/हें0, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति अवरोधी तथा लीफ माइनर, एफिड एवं स्टेम फ्लाई के प्रति मध्यम अवरोधी, एवं रस्ट के प्रति सहिष्णु, मध्यम दाने, उत्तर प्रदेश के मटर उत्पादित क्षेत्र लिए। |
| 3 | चना | आई.पी.सी. 2010- 134 (शिवा) | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान, कानपुर | समय से बुआई, सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 124-138 दिन, पौधे की ऊंचाई- 44.30 सेमी, औसत उपज- 17.06 कु0/हें0, विल्ट के प्रति उच्च अवरोधी तथा डी.आर.आर. एवं कालर रॉट के प्रति |

| | | | | |
|----------------------------|-------|---|---|---|
| | | | | मध्यम सहिष्णु, उच्च तापक्रम के प्रति मध्यम सहिष्णु, उत्तर प्रदेश पश्चामी एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र लिए। |
| 4 | चना | आई.पी.सी. 2007-28 (अटल) | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान, कानपुर | पछेती रो बुआई, रिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 112-138 दिन, पौधे की ऊँचाई- 52 से 0मी0, औसत उपज- 16.83 कु0/हेठ, विल्ट के प्रति उच्च अवरोधी तथा डी.आर.आर. (ड्राई रस्ट रॉट) के प्रति मध्यम सहिष्णु, उच्च तापक्रम के प्रति मध्यम सहिष्णु, उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र लिए। |
| 5 | चना | नरेन्द्र चना-1 (एन.डी.जी.-14-11) | एन.डी.यू. एंड टी., कुमारगंज, अयोध्या | समय से बुआई, परिपक्वता अवधि- 135-140 दिन, पौधे की ऊँचाई- 49 से 0मी0, औसत उपज- 13.24 कु0/हेठ, विल्ट, डी.आर.आर. एवं अस्योच्यता ब्लाइट के प्रति अवरोधी, उत्तर प्रदेश लिए। |
| 6 | मसूर | के.एल.एस.-1431 (शखर-7) | सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर | पछेती बुआई, परिपक्वता अवधि-110-115 दिन, पौधे की ऊँचाई- 35-40 से 0मी0, औसत उपज- 11.09 कु0/हेठ, रस्ट, विल्ट एवं पोड बोरर के प्रति अवरोधी, मध्यम दाने, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 7 | मसूर | आई.पी.एल.-230 | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान, कानपुर | नार्मल एवं रेनफेड क्षेत्र, परिपक्वता अवधि-111-151 दिन, पौधे की ऊँचाई- 38.87 से 0मी0, औसत उपज- 13.20 कु0/हेठ, रस्ट के प्रति अवरोधी एवं फ्यूजेरियम विल्ट के प्रति मध्यम सहिष्णु, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए (बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर)। |
| तिलहनी फसलों की प्रजातियाँ | | | | |
| 8 | अलसी | बी.यू.ए.टी. अलसी-3 (एल एम.एस.-2012-42) | बी.यू.ए.एंड टी. विश्वविद्यालय, बाँदा | रेनफेड, परिपक्वता अवधि- 127 दिन, पौधे की ऊँचाई- 70-75 से 0मी0, औसत उपज-10.33 कु0/हेठ, तेल- 40.34 %, रस्ट के प्रति अवरोधी एवं विल्ट, अल्टरनेरिया के प्रति मध्यम अवरोधी तथा अलसी बड़फलाई के प्रति मध्यम अवरोधी, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 9 | तिल | बी.यू.ए.टी. तिल-1 (एम.टी.-2013-3) | बी.यू.ए.एंड टी. विश्वविद्यालय, बाँदा | रेनफेड, परिपक्वता अवधि- 82 दिन, पौधे की ऊँचाई- 148 से 0मी0, औसत उपज- 4.66 कु0/हेठ, तेल- 47.50 %, मैक्रोफोमिया स्टेम/रस्ट रॉट, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट एवं बैक्टीरिअल लीफ स्पॉट एवं कैप्सूल बोरर के प्रति अवरोधी तथा अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट एवं बड़फलाई/गाल फ्लाई के प्रति मध्यम अवरोधी, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए। |
| धान्य फसलों की प्रजातियाँ | | | | |
| 10 | गेहूं | जी.आई.एम.-20-9 | शुआट्स, इलाहाबाद | सिंचित, समय से बुआई, पौधे की ऊँचाई- 95-100 |

(शिआट्स-डब्ल्यू-14)

से0मी0, परिपक्वता अवधि 110-115 दिन, औसत उपज- 49.19 कुं0/हेट, ब्राउन रस्ट, लीफ ब्लाइट, लूज स्मट एवं कर्नल बंट के प्रति अवरोधी, लोजिंग एवं सैटरिंग अवरोधी, मुलायम चपाती हेतु, पश्चमी उत्तर प्रदेश के लिए।

| | | | | |
|----|-------|--|--|---|
| 11 | गेहूं | एन.डब्ल्यू.-6046 | एन.डी.यू. एंड टी., कुमारगंज, अयोध्या | समय से बुआई, रेनफेड, पौधे की ऊंचाई- 97 से0मी0, परिपक्वता अवधि 125-127 दिन, औसत उपज- 21.10 कुं0/हेट, सभी रस्ट रोग के प्रति अवरोधी तथा लोजिंग एवं सैटरिंग के प्रति उच्च अवरोधी, उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 12 | गेहूं | एच.यू.डब्ल्यू.-711 (मालवीय-711) | बी.एच.यू., वाराणसी | रेनफेड/लिमिटेड सिचाई, पौधे की ऊंचाई- 93 से0मी0, परिपक्वता अवधि 115 दिन, औसत उपज- 21.85 कुं0/हेट, सभी रस्ट रोग एवं लीफ ब्लाइट के प्रति अवरोधी, उच्च जिंक (50.40पी.पी.एम.), उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 13 | गेहूं | के.-1616 | सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर | रेनफेड, पौधे की ऊंचाई- 106 से0मी0, परिपक्वता अवधि 121 दिन, औसत उपज- 23.96 कुं0/हेट, ब्राउन, पीला एवं काला रस्ट अवरोधी, उत्तर प्रदेश के पश्चमी एवं मध्य क्षेत्र लिए। |
| 14 | जौ | के. बी.-1425 (आजाद जौ-33) | सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर | लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं, सिंचित, पौधे की ऊंचाई- 79 से0मी0, परिपक्वता अवधि 120 दिन, औसत उपज- 33.07 कुं0/हेट, पीला एवं भूरा रस्ट के प्रति अवरोधी, उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 15 | धान | आर.सी.पी.आर.-16- आई.आर.84894- 143-सी.आर.ए.-17-1 (आई.ई.टी.-24692) (स्वर्ण सूखा धान) | आरतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना | रेनफेड, पौधे की ऊंचाई- 105-110 से0मी0, परिपक्वता अवधि 110-115 दिन, औसत उपज- 35-40 कुं0/हेट, फाल्स स्मट अवरोधी, लीफ ब्लाइट एवं ब्लास्ट सहिष्णु, ब्राउन स्पॉट, शीथ ब्लाइट, नेक ब्लास्ट, आर.टी.डी. के प्रति मध्यम सहिष्णु एवं स्टेम बोर, लीफ फोल्डर अवरोधी, सुखा सहिष्णु तथा लोजिंग एवं घेन सैटरिंग अवरोधी, एच०आर०- 78.40%, एम०आर०- 70.90%, मध्यम लम्बा चावल, उत्तर प्रदेश के सूखा क्षेत्र के लिए। |
| 16 | धान | एन.डी.जी.आर.-702 (आई.ई.टी.-25882) (जल भवानी) | एन.डी.यू. एंड टी., कुमारगंज, अयोध्या | पौधे की ऊंचाई- 127-140 से0मी0, परिपक्वता अवधि 135-140 दिन, औसत उपज- 35-40 कुं0/हेट, नेक ब्लास्ट एवं स्टेम बोरर के प्रति मध्यम अवरोधी, एच०आर०- 79.80%, एम०आर०- 70.50%, उत्तर प्रदेश के जलमग्न क्षेत्र हेतु। |

| | | | | |
|----|-----|---|---------------------------|---|
| 17 | धान | सी.एस.आर.-76 (आई.ई.टी.-27070) (सी.एस.आर.-2748- 4441-195) | सी.एस.एस.आर. आई, करनाल | सिंचित, पौधे की ऊंचाई- 90 सेमी०, परिपक्वता अवधि 125-130 दिन, औसत उपज- 45.31 कु०/ह०, लीफ एवं नेक ब्लास्ट एवं बैंकटीरियल लीफ ब्लास्ट के प्रति मध्यम अवरोधी तथा ब्राउन एवं ग्रीन हापर, गाल मिइज एवं केस वार्म के प्रति मध्यम सहिष्णु। एच०आर०-76.70%, एच०आर०-68.60%, प्रदेश के सिंचित क्षारीय एवं सोडिक क्षेत्र के लिए। |
|----|-----|---|---------------------------|---|

4- सरसों तथा धान की निम्नलिखित दो प्रजातियों के प्रस्तुतीकरण के समय समिति द्वारा सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर द्वारा विकसित सरसों प्रजाति सुरेखा (KMR 16-2) एवं एस.वी.पी.यू.एंड टी., मेरठ द्वारा विकसित धान प्रजाति नगीना वल्लभ बासमती-1 (एन.वी.बी.-1) के प्रस्ताव/प्रपोजल, डा. अशोक कुमार सिंह, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए, विमोचन किये जाने की अपेक्षा की गयी:-

| क्र.सं. | फसल | प्रजाति | प्रस्तावक संस्था | प्रजातियों के गुण |
|---------|-------|--|-------------------------------|--|
| 1 | सरसों | सुरेखा (के.एम.आर.-16-2) | सी.एस.ए.यू.ए. एंड टी., कानपुर | सिंचित, परिपक्वता अवधि-125-130 दिन, पौधे की ऊंचाई- 160-175 सेमी०, औसत उपज- 16.69 कु०/ह०, तेल- 42.60%, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 2 | धान | नगीना वल्लभ बासमती-1 (एन.वी.बी.-1) (आई.ई.टी.-25404) | एस.वी.पी.यू.ए. एंड टी., मेरठ | सिंचित, पौधे की ऊंचाई - 100-105 सेमी०, फूल निकलने की अवधि 90-105 दिन, सभी रोग एवं कीटों के प्रति मध्यम अवरोधी, एच०आर०-76.06 प्रतिशत, एच०आर०आर०-54.33, औसत उपज 45.20 से 62.50 कु०/ह०, सुगन्धित, लम्बे बेलनाकार एवं महीन चावल, पश्चमी उत्तर प्रदेश के लिए। |

5- कृषि निदेशालय के पत्र संख्या- एस.एफ./ 486- टी/SVN-08/रा.बी.उ.स./220-21/2021-22 दिनांक 24.06.2021 द्वारा डा. अशोक कुमार सिंह, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली को उक्त दोनों प्रजातियों के प्रस्ताव/प्रपोजल प्रेषित किये गए। डा. अशोक कुमार सिंह, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.07.2021(ई-मेल) में अवगत कराया गया कि सरसों प्रजाति सुरेखा (KMR 16-2) की उत्पादकता ट्रायल के समय चेक प्रजाति उर्वशी से 15.48 % अधिक रही है, को विमोचन हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है तथा धान प्रजाति नगीना वल्लभ बासमती-1 की प्रजाति के प्रस्ताव/प्रपोजल पर अवगत कराया गया कि बासमती धान जी.आई., अंतर्गत संरक्षित है, जिसके द्वितीय धान प्रजाति नगीना वल्लभ बासमती-1 (एन.वी.बी.-1) (आई.ई.टी.-25404) को केवल उत्तर प्रदेश के पश्चमी क्षेत्र हेतु विमोचन हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है। तदनुसार, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सरसों प्रजाति सुरेखा (KMR 16-2) एवं धान प्रजाति नगीना वल्लभ बासमती-1 (एन.वी.बी.-1) (आई.ई.टी.-25404) पर दिए गये अभिमत के क्रम में समिति द्वारा उक्त प्रजातियों को विमोचन हेतु अनुमोदित किया गया।

6- डा. ए.के. श्रीवास्तव, अभिजनक / प्रभारी (तम्बाकू), सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर द्वारा तम्बाकू प्रजाति ए.आर.आर.-27 (नाथ) का प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नानप्लान



(2)

स्कीम जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तपोषित तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की स्कीम (75 % अंशदान आई.सी.ए.आर एवं 25 % अंशदान राज्य सरकार) के अंतर्गत, तम्बाकू प्रजाति ए.आर.आर.-27 (नाथ) विकसित की गयी है, जो कि औषधीय गुणों से युक्त तथा उच्च उत्पादकता वाली प्रजाति है एवं टी.एम.वी. के प्रति अवरोधी एवं टोबैको एफिड के प्रति सहिष्णु है। तम्बाकू फसल सीड चेन में न होने के कारण आई.सी.ए.आर. द्वारा गठित कमटी के माध्यम से चिन्हित कर उक्त तम्बाकू प्रजाति को विमोचन हेतु निम्नवत प्रस्तुत किया गया:-

| क्र.सं. | फसल | प्रजाति | प्रस्तावक संस्था | प्रजाति के गुण |
|---------|---------|----------------------|-------------------------------|---|
| | | | | |
| 1 | तम्बाकू | ए.आर.आर.-27 (नाथ) | सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर | सिंचित, पौधे की ऊँचाई- 65-85 सेमी, परिपक्वता अवधि 70-75, टी.एम.वी. के प्रति अवरोधी एवं टोबैको एफिड के प्रति सहिष्णु। निकोटीन -4 % से 4.55 %, टी.आर.एस.- 0.18 % से 0.42 %, क्लोराइड- 0.73 % से 2.10 %. एच.आर.-76.70%, एच.आर.0आर-68.60%, प्रदेश के सिंचित क्षारीय एवं सोडिक क्षेत्र के लिए। |

7- तम्बाकू की उक्त ए.आर.आर.-27 (नाथ) प्रजाति के सम्बन्ध में उपायुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया कि यदपि भारत सरकार द्वारा तम्बाकू की खेती को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है तथापि तम्बाकू प्रजातियों के सम्बन्ध में राज्य चाहें तो अनुमोदन करके भेज सकते हैं। भारत सरकार स्तर से निर्णय लिया जा सकता है।

8- समिति द्वारा तम्बाकू प्रजाति ए.आर.आर.-27 (नाथ) को विमोचन हेतु अनुमोदन किये जाने पर मत स्थिर नहीं किया गया तथा आई.सी.ए.आर., नई दिल्ली तथा भारत सरकार के स्तर से कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी।

समिति की बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन एवं
मध्यक्ष, राज्य बीज उप समिति।

(6)

(3)


कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
 (बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग)
 कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक: एस.एफ./ ८८५०८१

/ SVN-08/रा.बी.उ.स./2021-22 दिनांक: २२ -०७ -२०२१

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग -2 के पत्र संख्या -
 1486/12-2-2021 दिनांक -22-07-2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य बीज उप समिति के मार्ग सदस्यगण।
2. निदेशक, आई.आई.पी.आर. कानपुर, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, सी.एस.एस.आर. आई, करनाल, हरियाणा।
4. निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना।
5. कुलपति, शुआट्स, नैनी प्रयागराज।
6. कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ।
8. कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या।
9. कुलपति, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा।
10. उपायुक्त, बीज, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं
 किसान कल्याण विभाग, एफ विंग, द्वितीय तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
11. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं
 किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
12. सचिव, केंद्र बीज समिति/कम उपायुक्त, गुणवत्ता नियंत्रण, कृषि एवं किसान कल्याण
 मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
13. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. अपर मुख्य सचिव (कृषि) ३०प्र०, शासन कृषि अनुभाग -2 सचिवालय लखनऊ।
15. गार्ड बुक।


 (सुरेन्द्र बहादुर सिंह)

सदस्य सचिव, राज्य बीज उप समिति एवं
 अपर कृषि निदेशक(बीज एवं प्रक्षेत्र), ३०प्र०।

(7)

**दिनांक 03 फरवरी 2021 को कृषि निदेशक 30प्र० की अध्यक्षता में आयोजित
राज्य बीज विमोचन उप समिति की 58^{वीं} बैठक का कार्यवृत्त**

निदेशालय के पत्रांक-एस0एफ0/2354-टी/SVN-09/रा0बी0वि030स0/2020-21 दिनांक-14-01-2021 द्वारा राज्य बीज विमोचन उप समिति की 58^{वीं} बैठक दिनांक 03 फरवरी 2021 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें कृषि एवं प्रद्योगिकी विश्वविद्यालयों एवं आई.सी.ए.आर के शोध संस्थानों से प्राप्त नवीन फसल प्रजातियों के प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) 30प्र० द्वारा बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों / विशेषज्ञों / अधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। फसल प्रजाति में विमोचन हेतु अखिल भारतीय समन्वित परीक्षणों एवं राज्य सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्रों पर आयोजित परिणामों के आधार पर कुल 32 प्रजातियों की प्रस्तुति सम्बन्धित कृषि विश्वविद्यालयों एवं आई.सी.ए.आर के शोध संस्थानों के अभिजनकों/वैज्ञानिकों द्वारा की गयी, वैज्ञानिकों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत मा० समिति के सदस्यों द्वारा 19 नवीन फसल प्रजातियों को विमोचन हेतु संस्तुत किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है।

| क्र.सं. | फसल | प्रजाति | प्रस्तावक संस्था | प्रजातियों के गुण |
|---------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| दलहनी फसलों की प्रजातियाँ | | | | |
| 1 | मटर | आई.पी.एफ.डी.-16-3 | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान कानपुर | सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 115-125 दिन, पौधे की ऊँचाई- 60-80 से0मी0, औसत उपज- 16.46 कु0/हेठ, पाउडरी मिल्ड्यू एवं रस्ट रोग के प्रति अवरोधी, गोल, मध्यम आकार, स्मृथ एवं सफेद दाने, उत्तर प्रदेश के मटर उत्पादित क्षेत्र लिए। |
| 2 | मटर | नरेन्द्र मटर-1 (एन.डी.पी.-2014-4) | एन.डी.यू.ए.टी. अयोध्या | सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 115-118 दिन, पौधे की ऊँचाई- 68 से0मी0, औसत उपज- 13.83 कु0/हेठ, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति अवरोधी तथा लीफ माइनर, एफिड एवं स्टेम फ्लाई के प्रति मध्यम अवरोधी, एवं रस्ट के प्रति सहिष्णु, मध्यम दाने, उत्तर प्रदेश के मटर उत्पादित क्षेत्र लिए। |
| 3 | चना | आई.पी.सी. 2010-134 (शिवा) | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान कानपुर | समय से बुआई, सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 124-138 दिन, पौधे की ऊँचाई- 44.30 से0मी0, औसत उपज- 17.06 कु0/हेठ, विल्ट के प्रति उच्च अवरोधी तथा डी.आर.आर. एवं कालर रॉट के प्रति मध्यम सहिष्णु, उच्च तापक्रम के प्रति मध्यम सहिष्णु, उत्तर प्रदेश पश्चिमी एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र लिए। |
| 4 | चना | आई.पी.सी. 2007-28 (अटल) | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान कानपुर | पछेती से बुआई, सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 112-138 दिन, पौधे की ऊँचाई- 52 से0मी0, औसत उपज- 16.83 कु0/हेठ, विल्ट के प्रति उच्च अवरोधी तथा डी.आर.आर. (ड्राई रूट रॉट) के प्रति मध्यम सहिष्णु, उच्च तापक्रम के प्रति मध्यम सहिष्णु, उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र लिए। |
| 5 | चना | नरेन्द्र चना-1 (एन.डी.जी.-14-11) | एन.डी.यू. एंड टी. अयोध्या | समय से बुआई, परिपक्वता अवधि- 135-140 दिन, पौधे की ऊँचाई- 49 से0मी0, औसत उपज- |

~~Dom~~ Shri Manoj Mehta
संगठन के नाम
प्रमाणित करने वाले के नाम
प्रमाणित करने वाले की उम्र

| क्र.सं. | फसल | प्रजाति | प्रस्तावक संस्था | प्रजातियों के गुण |
|----------------------------|-------|--|---|--|
| 6 | मसूर | के.एल.एस.-1431 (शेखर-7) | सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर | 13.24 कुं0/हें0, विल्ट, डी.आर.आर. एवं अम्बोच्चयता ब्लाइट के प्रति अवरोधी, उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 7 | मसूर | आई.पी.एल.-230 | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान कानपुर | नार्मल एवं रेनफेड होते, परिपक्वता अवधि-111- 151 दिन, पौधे की ऊँचाई- 35-40 सेमी0, औसत उपज- 11.09 कुं0/हें0, रस्ट, विल्ट एवं पोड बोरर के प्रति अवरोधी, मध्यम दाने, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए। |
| तिलहनी फसलों की प्रजातियाँ | | | | |
| 8 | सरसों | सुरेखा (के.एम.आर.-16- 2) | सी.एस.ए.यू.ए. एंड टी., कानपुर | सिंचित, परिपक्वता अवधि-125-130 दिन, पौधे की ऊँचाई- 160-175 सेमी0, औसत उपज- 16.89 कुं0/हें0, तेल- 42.60%, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 9 | अलसी | बी.यू.ए.टी. अलसी-3 (एल एम.एस.-2012- 42) | बी.यू.ए.एंड टी. विश्वविद्यालय बांदा | रेनफेड, परिपक्वता अवधि- 127 दिन, पौधे की ऊँचाई- 70-75 सेमी0, औसत उपज- 10.33कुं0/हें0, तेल- 40.34 %, रस्ट के प्रति अवरोधी एवं विल्ट, अल्टरनेरिया के प्रति मध्यम अवरोधी तथा अलसी बड़ फलाई के प्रति मध्यम अवरोधी, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 10 | तिल | बी.यू.ए.टी. तिल- 1 (एम.टी.-2013- 3) | बी.यू.ए.एंड टी. विश्वविद्यालय बांदा | रेनफेड, परिपक्वता अवधि- 82 दिन, पौधे की ऊँचाई- 148 सेमी0, औसत उपज- 4.66 कुं0/हें0, तेल- 47.50 %, मैक्रोफोमिया स्टेम/रूट रॉट, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट एवं बैकटीरिअल लीफ स्पॉट एवं कैप्सूल बोरर के प्रति अवरोधी तथा अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट एवं बड़ फलाई/गाल फलाई के प्रति मध्यम अवरोधी, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए। |
| धान्य फसलों की प्रजातियाँ | | | | |
| 11 | गेहूं | जी.आई.एम.-20- 9 (शिआदस- डब्ल्यू-14) | शुआट्स, इलाहाबाद | सिंचित, समय से बुवाई, पौधे की ऊँचाई- 95- 100 सेमी0, परिपक्वता अवधि 110-115 दिन, औसत उपज- 49.19 कुं0/हें0, ब्राउन रस्ट, लीफ ब्लाइट, लूज स्मट एवं कर्नल बंट के प्रति अवरोधी, लोजिंग एवं सैटरिंग अवरोधी, मुलायम चपाती हैतु, पश्चमी उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 12 | गेहूं | एन.डब्ल्यू.-6046 | एन.डी.यू.एंड टी. अयोध्या | समय से बुवाई, रेनफेड, पौधे की ऊँचाई- 97 सेमी0, परिपक्वता अवधि 125-127 दिन, औसत उपज- 21.10 कुं0/हें0, सभी रस्ट रोग के प्रति अवरोधी तथा लोजिंग एवं सैटरिंग के प्रति उच्च अवरोधी, उत्तर प्रदेश के लिए। |

| क्र.सं. | फसल | प्रजाति | प्रस्तावक संस्था | प्रजातियों के गुण |
|---------|---------|--|---|---|
| 13 | गेहूं | एच.यू.डब्लू.-711 (मालवीय-711) | बी.एच.यू., वाराणसी | रेनफेड/लिमिटेड सिचाई, पौधे की ऊंचाई- 93 से ०मी०, परिपक्वता अवधि 115 दिन, औसत उपज- 21.85 कु०/ह०, सभी रस्ट रोग एवं लीफ ब्लाइट के प्रति अवरोधी, उच्च जिंक (50.40पी.पी.एम.), उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 14 | गेहूं | के.-1616 | सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर | रेनफेड, पौधे की ऊंचाई- 106 से ०मी०, परिपक्वता अवधि 121 दिन, औसत उपज- 23.96 कु०/ह०, ब्राउन, पीला एवं काला रस्ट अवरोधी, उत्तर प्रदेश के पश्चमी एवं मध्य क्षेत्र लिए। |
| 15 | जौ | के. बी.-1425 (आजाद जौ-33) | सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर | लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं, सिंचित, पौधे की ऊंचाई- 79 से ०मी०, परिपक्वता अवधि 120 दिन, औसत उपज- 33.07 कु०/ह०, पीला एवं भूरा रस्ट के प्रति अवरोधी, उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 16 | धान | आर.सी.पी.आर.- 16- आई.आर.84894- 143-सी.आर.ए.- 17-1 (आई.ई.टी.- 24692) (स्वर्णा सुखा धान) | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना | रेनफेड, पौधे की ऊंचाई- 105-110 से ०मी०, परिपक्वता अवधि 110-115 दिन, औसत उपज- 35-40 कु०/ह०, फाल्स स्मट अवरोधी, लीफ ब्लास्ट एवं बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट सहिष्णु, ब्राउन स्पॉट, शीथ ब्लाइट, नेक ब्लास्ट, आर.टी.डी. के प्रति मध्यम सहिष्णु एवं स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर अवरोधी, सुखा सहिष्णु तथा लोंजिंग एवं गेन स्टैटिंग अवरोधी, एच०आर०- 78.40%, एम०आर०- 70.90%, मध्यम लम्बा घावल, उत्तर प्रदेश के सुखा क्षेत्र के लिए। |
| 17 | धान | एन.डी.जी.आर.- 702 (आई.ई.टी.- 25882) (जल भवानी) | एन.डी.यू. एंड टी. अयोध्या | पौधे की ऊंचाई- 127-140 से ०मी०, परिपक्वता अवधि 135-140 दिन, औसत उपज- 35-40 कु०/ह०, नेक ब्लास्ट एवं स्टेम बोरर के प्रति मध्यम अवरोधी, एच०आर०-79.80%, एम०आर०- 70.50%, उत्तर प्रदेश के जलमण्डन क्षेत्र हेतु। |
| 18 | धान | सी.एस.आर.-76 (आई.ई.टी.- 27070) (सी.एस.आर.- 2748-4441- 195) | सी.एस.एस.आर. आई., करनाल | सिंचित, पौधे की ऊंचाई- 90 से ०मी०, परिपक्वता अवधि 125-130 दिन, औसत उपज- 45.31 कु०/ह०, लीफ एवं नेक ब्लास्ट एवं बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट के प्रति मध्यम अवरोधी तथा ब्राउन एवं ग्रीन हापर, गाल मिङ्ग एवं केस वार्म के प्रति मध्यम सहिष्णु। एच०आर०-76.70%, एच.आर.03आर०- 68.60%, प्रदेश के सिंचित क्षारीय एवं सोडिक क्षेत्र के लिए। |
| 19 | तम्बाकू | ए.आर.आर.-27 (नाथ) | सी.एस.ए.यू.एंड टी., कानपुर | सिंचित, पौधे की ऊंचाई- 65-85 से ०मी०, परिपक्वता अवधि 70-75, टी.एम.वी. के प्रति अवरोधी एवं टोबाको एफिड के प्रति सहिष्णु। निकोटीन -4 % से 4.55 %, टी.आर.एस.- 0.18 % से 0.42 %, ब्लोराइड- 0.73 % से 2.10 %, एच०आर०-76.70%, एच.आर.03आर०- |

व्यावसायिक फसल की प्रजातियाँ

अंत में अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) ३० प्र० द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों/वैज्ञानिकों/अधिकारियों को धन्यवाद जापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(डा.ए.पी.श्रीवास्तव)
कृषि निदेशक, ३० प्र०।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
(बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग),
कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक:- एस.एफ./२८५९-८/SYN-०९/रा.बी.वि.उ.स./२०२०-२१ दिनांक :- ०२-०३-२०२१

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. संयुक्त कृषि निदेशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण), ३० प्र०, कृषि भवन लखनऊ।
२. अमिजनक (अनाज/दलहन/तिलहन/रेशे वाली फसलें) कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर, अयोध्या, मेरठ, बाँदा, प्रयागराज एवं वाराणसी।
३. उप महानिदेशक (फसलें) ३०प्र० कृषि अनुसन्धान परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
४. निदेशक (शोध) कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर, अयोध्या, बाँदा, मेरठ एवं प्रयागराज।
५. निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
६. निदेशक, भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर।
७. निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना।
८. निदेशक, सी.एस.एस.आर. आई, करनाल।
९. निदेशक, भारतीय चारा विकास संस्थान, झाँसी।
१०. निदेशक, ३०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, आलमबाग लखनऊ।
११. निदेशक, पशुपालन, ३०प्र०, लखनऊ।
१२. निदेशक, उदयान एवं खाद्य प्रसंस्करण, ३० प्र०, लखनऊ।
१३. प्रबंध निदेशक, एन०एस० सी०, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
१४. प्रबंध निदेशक, ३०प्र० बीज विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
१५. सचिव, केन्द्रीय बीज समिति, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
१६. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव (कृषि) ३०प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संजानार्थी।

१५.०५.२०२१
(एस. बी. सिंह)
अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ.प्र.,
सहसंयोजक राज्य बीज उप समिति।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-31.-28072021-228539
CG-DL-E-28072021-228539

बहादुरण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2775।
No. 2775।

नई दिल्ली, मुख्यालय, जुलाई 28, 2021/श्रावण 6, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2021/SHRAVANA 6, 1943

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

का. आ. 2986(अ).— बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त अक्षियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंची है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (3) के रूपीन संगत प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किसी को कॉलम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकार के बीजों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी को बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना जरूरी और समाचीन है, एवं द्वारा धोषणा की जाती है कि बीजों के उक्त प्रकार या विस्में अधिनियम के प्रयोगनार्थ अधिसूचित होंगी और शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त सारणी के स्तम्भ (4) के अधीन संबंधित प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि के प्रयोगन के लिए इनकी विकी की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं. | प्रकार | किसी | विकी के लिए अनुरूप सित राज्य |
|---------|--------|--|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | चावल | जमू बासमती 118 (एसजे बीआर 118) (आईईटी 27733) | जमू एवं कश्मीर। |

| क्र.सं. | प्रकार | किस्म | विक्री के लिए अनुशंसित राज्य |
|---------|--------------|---------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 39. | कावुली चना | आरएलबी चना कावुली-1 (आरएलबीजीके-1) | ओडिशा, प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और |
| 40. | सरसों | एसवीजेएच-108 | हरियाणा। |
| 41. | भारतीय सरसों | आजाद महक [(वैएमआर (ई) 15-2)] | उत्तर प्रदेश। |
| 42. | भारतीय सरसों | राधिका (टीआरएमआर 2017-18) | जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। |
| 43. | भारतीय सरसों | बृजराज (टीआरएमआरआईसी 16- 38) | जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान। |
| 44. | बाकला | स्वर्ण मौरव | बिहार। |
| 45. | बाकला | स्वर्ण सुरधा | बिहार। |
| 46. | मूंग | पूसा 1641 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। |
| 47. | खार | एक्स-10 | हरियाणा। |
| 48. | तोरिया | आजाद चेतना (टीकेएम 14-2) | उत्तर प्रदेश। |
| 49. | तोरिया | राज विजय तोरिया 2 (आरएमटी 08-2) | मध्य प्रदेश। |
| 50. | सोयाबीन | पूसा सोयाबीन 06 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। |
| 51. | सोयाबीन | आरवीएमएम-2011-35 (आरबीएमएम 35) | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, महाराष्ट्र के मराठवाडा और विदर्भ क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात। |
| 52. | सोयाबीन | आईएस 138 (एनआरसी 138) | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के मराठवाडा और विदर्भ क्षेत्र। |
| 53. | सोयाबीन | एमएएस 100-39 (पीटीकेवी अम्बा) | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के मराठवाडा और विदर्भ क्षेत्र। |
| 54. | सोयाबीन | एमएसीएस-एनआरसी 1667 | महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कृष्णा नदी के तट पर जग संभावित क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी महाराष्ट्र, बेलगावी, धारवाड, हावेरी बीदर और बाबलकोट जिले का पूरा क्षेत्र। |
| 55. | सोयाबीन | केवीबीएस 1 (करणे) | कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग। |
| 56. | सोयाबीन | राज विजय सोयाबीन [आरबीएम 76] | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, महाराष्ट्र के मराठवाडा और विदर्भ क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात। |
| 57. | सोयाबीन | आईएस 142 (एनआरसी 142) | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुडेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मराठवाडा और विदर्भ क्षेत्र और मध्य क्षेत्र महाराष्ट्र में दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा प्रदेश और तमिलनाडु में कृष्णा नदी के |



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

का.आ. 3220(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित की जाएंगी, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं. | किस्म | प्रकार | विक्री के लिए अनुशासित राज्य |
|---------|-------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | चावल | भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19) | बिहार, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु। |
| 2. | चावल | मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4) | पश्चिम बंगाल। |
| 3. | चावल | जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716) | कर्नाटक। |
| 4. | चावल | जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031) | गुजरात। |
| 5. | चावल | जीएनआर-7 (एनवीएसआर-6128) | गुजरात। |
| 6. | चावल | शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408) | जम्मू - कश्मीर। |

“जीरेन कॉट-29 (जीवीएवी)”;

[फा.सं. 3-71/2019-एसडी(V)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2019.

S.O. 3221(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.No.6318 (E), dated the 26th December, 2018, namely:—

In the said notification, in the Table, —

- (i) against serial number 98, for the entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:—
“Cotton”;
- (ii) against serial number 99, for the entries in column (3), the following entries shall be substituted, namely:—
“GN Cot-26 (GBHV-170)”;
- (iii) against serial number 100, for the entries in column (3), the following entries shall be substituted, namely:—
“GN Cot-29 (GBav)”.

[F. No. 3-71/2019-SD.IV]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई विल्ली, 5 सितम्बर, 2019.

का.आ. 3222(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त गतियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श करने के पश्चात, का.आ.सं. 3540 (अ) तारीख 22 नवम्बर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है। अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 19 के सामने, स्तरम् (3) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों रखी जायेगी, अर्थात्:-

“एस7002 एनके (16520) (आईईटी 24146)”

[फा.सं. 3-71/2019-एसडी(V)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2019.

S.O. 3222(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3540(E), dated the 22nd November, 2016, namely:—

36

In the said notification, in the Table, against serial number 19, for the entries in column (3), the following entries shall be substituted, namely:—

"S7002 NK (16520) (IET 24146)"

[F. No. 3-71/2019-SD.IV]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019.

का.आ. 3223(ब).—केन्द्रीय सरकार, वीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गमिति से परामर्श करने के पश्चात, का.आ.सं. 122 (ब) तारीख 06 फरवरी, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है- अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्याक 27 के सामने, स्तम्भ (3) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेगी, अर्थात्:-

"टीबीडब्ल्यू 17"

[का.सं. 3-71/2019-एमटी।V]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2019.

S.O. 3223(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Committee, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number and S.O. No. 122 (E), dated the 6th February, 2007, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 27, for the entries in column (3), the following entries shall be substituted, namely:—

"DBW 17"

[F. No. 3-71/2019-SD.IV]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20 अगस्त 2019 को कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सम्पन्न राज्य बीज विनोदन उप समिति की 32वीं बैठक कार्यवृत्त।

उपस्थिति: संलग्न।

प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20 अगस्त 2019 को संबंधित हाइड्रोवैज़ानिकों द्वारा राज्य बीज विनोदन उप समिति की 32वीं बैठक दिनांक 06 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की गई जिसमें दिनांक 08 अक्टूबर, 2018 को सम्पन्न राज्य बीज विनोदन उप समिति की 57वीं बैठक में विनोदन हेतु 19 फसल प्रजातियों को संस्तुत किया गया था, जिसका संबंधित हाइड्रोवैज़ानिकों द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया। समिति के माठ सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार विनाश करते हुए कुल 18 फसल प्रजातियों पर विचार करते हुए निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।-

| क्र.सं. | फसल | प्रजाति | प्रत्यावर्तक संस्था | प्रजातियों के गुण |
|---------------------------|------|----------------------------------|---|--|
| दलहनी फसलों की प्रजातियाँ | | | | |
| 1 | मटर | आई०पी०एफ०डी० 12- 8 (आकाश) | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान कानपुर | सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि-120-125 दिन, पोथे की ऊचाई- 60-70 सेमी०, पाउडरी मिल्डयू एवं रस्ट के प्रति अवरोधी, बीज उपज 11.58 कु0/१०, गोल, मध्यम बोल्ड, स्मृत एवं सफेद दाने, उत्तर प्रदेश के मटर उत्पादक क्षेत्रों के लिए। |
| 2 | मटर | आई०पी०एफ०डी० 13-2 (झंगत) | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान कानपुर | सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि-120-125 दिन, पोथे की ऊचाई- 62-72 सेमी० पाउडरी मिल्डयू, डउनी मिल्डयू एवं रस्ट के प्रति अवरोधी, बीज उपज 14.09 कु0/१०, गोल, मध्यम बोल्ड, स्मृत एवं सफेद दाने, उत्तर प्रदेश के नटर उत्पादक क्षेत्रों के लिए। |
| 3 | चना | आई.पी.सी.-2011- 112 | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान कानपुर | समय से बुआई, परिपक्वता अवधि-122-148 दिन, पोथे की ऊचाई- 45-50 सेमी०, विल्ट के प्रति अवरोधी, बीज उपज 12.98 कु0/१०, मध्यम बोल्ड दाने, उत्तर प्रदेश के चना उत्पादक क्षेत्रों के लिए। |
| 4 | बसूर | के.एल.बी.- 13-6 (शेख-३) | सी.एस.ए.यू.ए. एड. ही., कानपुर | परिपक्वता अवधि-125-130 दिन, पोथे की ऊचाई- 35-40 सेमी०, रस्ट, विल्ट, एवं पोड बोरर के प्रति अवरोधी, बीज उपज 9.94 कु0/१०, उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्रों के लिए। |
| 5 | बसूर | आई.पी.एल.-225 (आई.पी.एल.एस.-) | भारतीय दलहन अनुसन्धान | परिपक्वता अवधि-105-133 दिन, पोथे की ऊचाई- 43.80 सेमी०, रस्ट एवं फ्यूजरियम |

| क्र.सं. | प्रमाणित | प्रस्तावक संस्था | प्रजातियों के गण |
|----------------------------|--|---|---|
| | 225) | तरस्याल बननपुर | विल्ट के प्रति अवरोधी, लोज उपज 10.32 कु०/००, उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्रों के लिए। |
| 6 | मधुर आई.पी.एल.-329 (आई.पी.एल.बी- 329) | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान कानपुर | परिपक्वता अवधि-115-134 दिन, पौधे की ऊचाई- 44.90 से०मी०, सफ. एवं एन्जॉरियम विल्ट के प्रति अवरोधी, लोज उपज 10.12 कु०/०० उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्रों के लिए। |
| 7 | मधुर आई.पी.एस.-409-4 (हिन्दी) | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान कानपुर | सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 65-80 (मध्यम) दिन, पौधे की ऊचाई- 45-60 से०मी०, एस.डाई.एम.टी., सर्कारीपोरा लोक स्पॉट के प्रति उच्च अवरोधी, लोक फ़िल्मल एवं लोक वाल गोन के प्रति अवरोधी, शिप्स के प्रति अवरोधी, औसत उपज 6.03 कु०/००, हरे एवं मध्यम बहे दाने, स्प्रिंग (वसंत) एवं खरीक जटु, उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 8 | मधुर आई.पी.एस.-312- 20 (वसुधा) | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान कानपुर | सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि- 65-82 (मध्यम) दिन, पौधे की ऊचाई- 37-84 से०मी०, एम.डाई.एल.टी., पाउडरी भिन्निय, सर्कारीपोरा लोक स्पॉट के प्रति अवरोधी एवं सफेद सर्कारी एवं शिप्स के प्रति अवरोधी, औसत उपज 6.58 कु०/००, हरे एवं मध्यम नडे दाने, स्प्रिंग (वसंत) सीजन में उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों के लिए। |
| 9 | उद्दे आई.पी.यू.-13-1 | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान कानपुर | परिपक्वता अवधि-74-80 दिन, पौधे की ऊचाई- 55-60 से०मी०, यैन्सों सोनोक वायरस, पाउडरी भिन्निय, सर्कारीपोरा लोक स्पॉट, एन्ड्रेकलोज, लोक फ़िल्मल एवं एन्जॉरियम लोक ब्लाइट के प्रति अवरोधी, औसत उपज 5.52 कु०/००, उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्रों के लिए। |
| 10 | भरहुर आई.पी.ए.-206 (रासा) | भारतीय दलहन अनुसन्धान संस्थान कानपुर | सिंचित/एनफ़ड क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि-247 दिन, पौधे की ऊचाई- 232 से०मी०, एन्जॉरियम विल्ट के प्रति अवरोधी, औसत उपज 10.63 कु०/००, दाने लैंड्यम आकार एवं पर्फैल रेंग के, उत्तर प्रदेश के अरहर उत्पादक क्षेत्रों के लिए। |
| तिलहनी कसलों की प्रजातियाँ | | | |
| 11 | तापिया आजाद चेतना (टी.के.एन.-14-2) | सी.एस.ए.यू.ए एड.टी. कानपुर | सिंचित, परिपक्वता अवधि-90-95 दिन, पौधे की ऊचाई- 110-115 से०मी०, औसत उपज- |

| क्र.सं. | फसल | प्रजाति | प्रस्तावक संस्था | प्रजातियों के गुण |
|---------------------------|-------|---|----------------------------------|--|
| | | | | 10.33 कु0/हें, तेल-40.90 से 42.70%, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 12 | सरसों | आजाद भवक (के.एम.आर.(ई) 15-2) | सी.एस.ए.यू.ए. एंड टी., कानपुर | सिंचित, परिपक्वता अवधि-120-125 दिन, पौधे की ऊँचाई- 160-165 सेमी, औसत उपज- 12.82 कु0/हें, तेल-41.10 से 42.10%, समस्त उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 13 | अलसी | शुआदस अलसी 2 (एस.एच.ए.-2) (आई.बी.टी.- 160202) | शुआदस, इलाहाबाद | सिंचित क्षेत्रों के लिए, परिपक्वता अवधि-123-125 दिन, पौधे की ऊँचाई- 73-75 सेमी, पाउडरी मिल्डयू एवं रस्ट के प्रति अवरोधी, विल्ट एवं अल्टरनेरिया ब्लाइट के प्रति मध्यम अवरोधी, औसत उपज 11.10 कु0/हें, लोजिंग एवं स्टारिंग के प्रति अवरोधी, तेल-37.40 %, उत्तर प्रदेश के अलसी उत्पादक क्षेत्रों के लिए। |
| 14 | अलसी | एल.सी.के.-1021 (अनु) | सी.एस.ए.यू.ए. एंड टी., कानपुर | रेनफेड, परिपक्वता अवधि-131 दिन, पौधे की ऊँचाई- 85 सेमी, अल्टरनेरिया ब्लाइट के प्रति अवरोधी एवं विल्ट के प्रति मध्यम अवरोधी, औसत उपज 7.85 कु0/हें, तेल-36.84 %, उत्तर प्रदेश के अलसी उत्पादक क्षेत्रों के लिए। |
| धान्य फसलों की प्रजातियाँ | | | | |
| 15 | गेहूं | ए०ए०आई०-डब्ल्यू 15 (शिआदस- डब्ल्यू 15) | शुआदस, इलाहाबाद | रेनफेड हेतु, समय से बुवाई, पौधे की ऊँचाई- 110-115 सेमी, परिपक्वता अवधि 110 दिन, लीक रस्ट एवं स्टेम बोरर के प्रति अवरोधी, लोजिंग एवं शटरिंग अवरोधी, उपज दाना-20-22 कु0/हें, भूखायन चपाती हेतु, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 16 | धान | एच.यू.बी.आर.- 1202 (भालबीय सुगन्धित धान- 1202) (आई.ई.टी.- 25706) | बी.एच.यू. वाराणसी | सिंचित, पौधे की ऊँचाई - 110-120 सेमी, परिपक्वता अवधि 130-135 दिन, बैनिटरिअल ब्लाइट, लीक एवं नेक ब्लास्ट के लिए मध्यम अवरोधी, एच.आर.0-77.40%, एम0आर0-68.80%, एच0आर0आर0-63.60%, औसत उपज 48-52, कु0/हें, सुगन्धित, लम्बे बेलनाकार एवं महोन चावल, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए। |
| 17 | धान | एच.यू.बी.आर.- 158 (भालबीय | बी.एच.यू., वाराणसी | सिंचित, पौधे की ऊँचाई - 115-120 सेमी, परिपक्वता अवधि 130-135 दिन, |

-५१-

| क्र.सं. | फसल | प्रजाति | प्रस्तावक संस्था | प्रजातियों के बीच |
|------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|
| | | मुगनियत धान- 158) (आई.इ.टी.- 26140) | | विंस्टरिअल इलाइट, लौक एवं नेक ब्लास्ट के लिए मध्यम अवरोधी, एच०गार०-76.70%, एम०आर०-69.50%, एच०गार०आर०-61.50, औसत उपज 50-55 कुं0/हेठ, उच्च मुगनियत, समै बेलनाकार एवं भूमि चाक्ख, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए। |
| मोटे अनाज वाली फसलों की प्रजातियाँ | | | | |
| 18 | संकर मक्का | पी.ए.सी.-745 (पी.ए.सी.-745 गोल्ड) | एडवांटा इंडिया लि०, हैदराबाद | रेसेंड हेतु, सारीफ, अगोती, पीथे की ऊंचाई- 200-220 से०वी०, पौरपक्षता अवधि 90-95 दिन, राजस्वयन डाउनी मिल्डयू, मायविस लौक ब्लाइट, डाउन मिट्रप डाउनी मिल्डयू, एवं एरिविया स्टाल्क रॉट के प्रति अवरोधी, उपज दाना- 50-60 कुं0/हेठ, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए। |

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा
विकसित धान प्रजाति नगीना वल्लभ बासमती-1(एन०वी०वी०-1) (आई०इ०टी०-25404) पर
संबंधित अग्रिमनक उपस्थित न होने के कारण राज्य बीज उप समिति द्वारा अगली बीठक में
अनुमोदन में रखने का सुझाव दिया गया।

जौ पौ० सिंह
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश साराजन
कृषि अनुसंधान-2
संख्या०२९२७ /१२-२-२०१९-एत०.११/९३
तिथि: दिनांक: ३० अक्टूबर, २०१९

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचीकृत एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रेति-
- राज्य बीज ३५ समिति के माठ सदस्यगण द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - हैड एडवांटा इंडिया लि०, ८-२-४१८, चतुर्थ तल, कृष्णगढ़ा हाउस, रोड नं०-७, बैलारा हिल्स, हैदराबाद
द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - निदेशक, आई०आई०पी०आर०, कानपुर द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान वी०एच०ग००, वाराणसी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - कुलपति, रुजाटा, मैनी, प्रयागराज द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6. कुलपति, सरदार घल्लम झाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. कुलपति, धन्द शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, सूखनऊ।
8. कुलपति, लरेन्ड्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. उपायुक्त, दीज, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण संचालन, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, एफा विभाग, ट्रिपुलीय तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण संचालन, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सचिव, केल्ड दीज समिति/कम्ब उपायुक्त, गुणवत्ता नियंत्रण, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण संचालन, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, दीज 116, शास्त्री भवन, नई दिल्ली द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के माझ प्रेषित कि कृपया उक्त कार्यकृत समर्त संबंधित को अपने स्तर से प्रेषित करने का काष्ट करें।

आजा से,

(ज० व० रिह)

विशेष सचिव।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1326]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2019/चैत्र 12, 1941

No. 1326]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2019/CHAITRA 12, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2019

का.बा. 1498(अ).—बेंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बेंद्रीय बीज नियमिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविधियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह धोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविधियों में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजन के लिए विक्रित किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात्:-

सारिणी

| क्रम सं. | प्रकार | किस्म | विक्री के लिए संस्तुत राज्य |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | चावल | मुक्ताश्री (आईडीटी 21845) | पश्चिमी बंगाल। |
| 2. | चावल | कृष्णा (आरएनआर-2458) (आईडीटी-21492) | तेलंगाना। |

| | | | |
|------|------------|--|---|
| 79. | सोयाबीन | चीएल सोया 89 (वीएलएम 89) | हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड। |
| 80. | मूँगफली | कोकण भूरातना (आरटीएनजी-29) | महाराष्ट्र। |
| 81. | मूँगफली | गुजरात मूँगफली एचपीएम 2 (जीजी एचपीएस 2) | गुजरात। |
| 82. | मूँगफली | पीडीकेडीजी-335 (एके 335) | महाराष्ट्र। |
| 83. | मूँगफली | फूले चेतन्या (सेट्टल-केडीजी 160) | आनंद प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। |
| 84. | मूँगफली | आईसीजीजी 93468 (जबतार) - | उत्तर प्रदेश। |
| 85. | मूँगफली | टीएमजी 14 | तमिलनाडु। |
| 86. | अलसी | टट्रा अलसी (आरएलसी-153) | उत्तर प्रदेश, विहार, आरझंड, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। |
| 87. | अलसी | राजन (एलसीके 1009) | उत्तर प्रदेश। |
| 88. | राखा | आरएसपीआर-69 (एमसीएन-04-35) | जम्मू। |
| 89. | तोरिया | आरएसपीटी-6 (टीसीएन 13-9) | जम्मू। |
| 90. | तिल | गुजरात तिल 6 (जी.तिल 6) (एटी 332) | गुजरात। |
| 91. | अरंडी | जवाहर अरंडी-24 (जेसी-24) | मध्य प्रदेश। |
| 92. | अरंडी | जवाहर अरंडी-4 (जेसी-4) | मध्य प्रदेश। |
| 93. | लोबिया | फूले विक्रांत (फूले जी 0405) | महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। |
| 94. | अरहर | राजेन्द्र अरहर-1 (डीए-2012-1) | बिहार। |
| 95. | इंडियन बीन | गुजरात जुनागढ़ इंडियन बीन-11 (जे.आई.जी.बी. (वी)-16) | गुजरात। |
| 96. | चावल बीन | जवाहर चावल बीन 05-4 (जवाहर चावल बीन-2) | मध्य प्रदेश। |
| 97. | उड़द बीन | आईपीयू 11-02 | उत्तर प्रदेश। |
| 98. | मसूर | आईपीएल-315 | उत्तर प्रदेश। |
| 99. | मसूर | आईपीएल 321 | उत्तर प्रदेश। |
| 100. | अरहर | जीटी-104 (एनपीएमके-15-05) | गुजरात। |
| 101. | मूँग बीन | जीएम-7 (एनएमके-15-08) | गुजरात। |
| 102. | फील्ड पी | आईपीएफडी 9-2 | उत्तर प्रदेश। |



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12461

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2018/चैत्र 6, 1940

No. 12461

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2018/CHAITRA 6, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

का.आ. 1379(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों के प्रकारों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजन हेतु विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात्:-

सारिणी

| क्रम सं. | प्रकार | किस्म | राज्य |
|----------|--------|-------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | चावल | दाढ़ (केएसपी-175) | कर्नाटक |
| 2. | चावल | जेआर-81 | मध्य प्रदेश |
| 3. | चावल | उन्नत चिन्हार | मध्य प्रदेश |
| 4. | चावल | उन्नत जीरा शंकर | मध्य प्रदेश |
| 5. | चावल | महीसामर (आई ई टी 22100) | गुजरात |
| 6. | चावल | सीएन 1272-55-105 (आई ई टी-19886) | सिंचित परिस्थितियों के तहत पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक। |

| | | | |
|-------|-------------|--|---|
| 30. | गेहूं | केआरएन 283 | उत्तर प्रदेश |
| 31. | गेहूं | एमएसीएस 4028 (बी) | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
| 32. | गेहूं | छत्तीसगढ़ बीनु-3 (सीबी 1013) | छत्तीसगढ़ |
| 33. | गेहूं | एचनूडल्चू 669 (मालबीव 669) | उत्तर प्रदेश |
| 34. | रोटी गेहूं | गूणग्र-334 | कर्नाटक |
| 35. | रोटी गेहूं | टीबीडब्ल्यू 168 | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
| 36. | रोटी गेहूं | टीबीडब्ल्यू 173 | पंजाब, हरियाणा, विस्ती, राजस्थान (कोटा और उदयपुर प्रभाग को छोड़कर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश (जोधपुर प्रभाग को छोड़कर), जम्मू और कश्मीर के कटुञ्ज ज़िला, पौटा घाटी और हिमाचल प्रदेश के उना ज़िले और उत्तराखण्ड के तराई क्षेत्र। |
| 37. | रोटी गेहूं | गूणग्र 375 | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
| 38. | रोटी गेहूं | पूसा गेहूं 1612 (एचआई 1612) | पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल (पहाड़ी को छोड़कर), ओडिशा, असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के मैदानों |
| 39. | दुर्म गेहूं | पूसा गेहूं 8777 (एचआई 8777) | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
| 40. | जी | सेट्रल बी टीडब्ल्यूज़ारबी 137 | राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड, पश्चिम बंगाल (पर्वत को छोड़कर), ओडिशा, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों के मैदानों के मध्य प्रदेश, गुजरात, कोटा और उदयपुर प्रभाग। |
| ✓ 41. | जी | के-1055 (प्रथर) | उत्तर प्रदेश। |
| 42. | मङ्गा | गुजरात आनंद सफेद मङ्गा संकर -2 (जीडब्ल्यूएमएच-2) | गुजरात। |
| 43. | मङ्गा | शक्तिमान-5 (एमाएनकनूपीएम 09-08) | खरीक और रबी दोनों मौसम में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। |
| 44. | मङ्गा | सी.पी. 999 | कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र। |
| 45. | मङ्गा | सी.पी. 838 | पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के साथ क्षेत्र। |
| 46. | मङ्गा संकर | एमएम 9344 (डीएमएच 192) | कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। |
| 47. | मङ्गा संकर | एहीनी-756 (एहीनी 0990296) | कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। |
| 48. | मङ्गा संकर | एचटीएमएच 5108 | कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। |
| 49. | मङ्गा | एचटीएमएच 5109 (एचटी 51412616) | कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। |
| 50. | मङ्गा | टॉप कलास (कोएमएच 1411) | रबी सीज़न में खेती के लिए बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश। |
| 51. | मङ्गा | जीके 3150 | राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। |
| 52. | मङ्गा | जीके 3155 | बिहार, झारखण्ड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए रबी के मौसम में। |

(63)

| | | | कलाईका |
|------|--------------|--|--|
| 106. | मुंगफली | वीजेवी 33 (मुख्यात जूमारड मुंगफली 33) | आंध्र प्रदेश, लैंसमाना और तमिलनाडु। |
| 107. | भारतीय सरसों | पुस्त कल्पना सरसों 31 (पीडीजीए-1) | राष्ट्रीय राजधानी भेज के लिए ग्राम्भी सं. 2238 (ई) लारीव 29 नून, 2016 को कल्पना बहले ही अधिसूचित विदा जा चुका है। अब फौजब, हरियाणा, दिल्ली, बम्ह और उत्तरी राजस्थान के राज्यों के लिए अंतीम विस्तार के लिए सिफारिश की गई है। |
| 108. | भारतीय सरसों | बारान 725 | बम्ह, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान। |
| 109. | भारतीय सरसों | सीएस 60 (सीएस 2800-1-2-3-5-1) | हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। |
| 110. | बरहर | वीएलपी -2 (वीपी-06-33) | गुजरात। |
| 111. | बरहर | वीजराती 811 (उर्मिला) | कलाईका। |
| 112. | बरहर | पुस्त बरहर 16 (पीएटीटी 16) | एनसीटी दिल्ली। |
| 113. | चिक-पी | पुस्त 3043 (वीकी 3043) | बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश। |
| 114. | उत्तर बीन | मुकुदर उत्तर-2 (वीपीग् 405) | राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के गैदाना। |
| 115. | मुंग बीन | बरुष (वीएम 2328) | उत्तर प्रदेश। |
| 116. | मुंग बीन | पुस्त 1431 | राष्ट्रीय राजधानी भेज दिल्ली। |
| 117. | मौथ बीन | बारामले - 2251 (मरुधा) बारामले-225-1-8-3) | उत्तरी जीन के गोठ पैदा करने वाले सभी भेज। |
| 118. | म्बार | करघ बुजार-1 (बारनीकार-12-1) | राजस्थान। |
| 119. | हरा चना | मुजरात अलैव बून बीन-5) (वीएप्ट-5 | मुजरात। |
| 120. | लाल चना | वीजे 8 | तमिलनाडु। |
| 121. | काला चना | राहीटी 6 | तमिलनाडु। |
| 122. | उद्धव | जौक चाम केकेएम 1 | तमिलनाडु। |
| 123. | काला चना | वीबीएन 8 (वीबीकी 09-005) | आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कलाईका और ओडिशा। |
| 124. | मसूर | एल 4727 | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों। |
| 125. | मसूर | कोटा मसूर 2 (आरकेएल 14-20) | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों। |
| 126. | मसूर | जाईपीएल 220 | पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल। |
| 127. | राजमा | कोटा राजमा 1 (जारकेलर 1033) | गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी राजस्थान। |
| 128. | फील्ड मटर | पंत मटर 250 | पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड। |
| 129. | फील्ड मटर | पंत मटर 243 | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों। |
| 130. | फील्ड मटर | केंद्रीय भेज मटर लैंडप्रिंटफी 2014-2 | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों। |
| 131. | चारा नोविया | लीओ 9 | तमिलनाडु। |
| 132. | लोविया | करन चारिला (वीपीकी 119) | राजस्थान। |



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1246]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2018/चैत्र 6, 1940

No. 1246]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2018/CHAITRA 6, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

विधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

का.बा. 1379(ब).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों के प्रकारों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्प्यानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजन हेतु विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात्:-

सारिणी

| क्रम सं. | प्रकार | किस्म | राज्य |
|----------|--------|-------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | चावल | दाढ़ (केग्मपी-175) | कर्नाटक |
| 2. | चावल | बेझार-81 | महाराष्ट्र |
| 3. | चावल | उल्लत चिन्हार | महाराष्ट्र |
| 4. | चावल | उल्लत जीरा शंकर | महाराष्ट्र |
| 5. | चावल | महीसाचर (आई ई टी 22100) | गुजरात |
| 6. | चावल | सीएन 1272-55-105 (आई ई टी-19886) | सिंचित परिस्थितियों के तहत पञ्जिम बंगाल, बिहार, झेडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। |

| | | | |
|-----|------------|---|--|
| 30. | गेहूं | केआरएन 283 | उत्तर प्रदेश |
| 31. | गेहूं | एमएसीएस 4028 (डी) | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
| 32. | गेहूं | छत्तीसगढ़ जीनु-3 (योजी 1013) | छत्तीसगढ़ |
| 33. | गेहूं | एनयूडब्ल्यू 669 (मानवीय 669) | उत्तर प्रदेश |
| 34. | रोटी गेहूं | सूएएस-334 | कर्नाटक |
| 35. | रोटी गेहूं | टीवीडब्ल्यू 168 | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
| 36. | रोटी गेहूं | टीवीडब्ल्यू 173 | पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान (कोटा और उदयपुर प्रभाग को छोड़कर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश (ओसी प्रभाग को छोड़कर), जम्मू और कश्मीर के कटुआ जिला, पोटा घाटी और हिमाचल प्रदेश के उना जिले और उत्तराखण्ड के तराई क्षेत्र। |
| 37. | रोटी गेहूं | सूएएस 375 | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
| 38. | रोटी गेहूं | पूसा गेहूं 1612 (एचआई 1612) | पूर्वी उत्तर प्रदेश, विहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल (पहाड़ी को छोड़कर), ओडिशा, असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के मैदानों |
| 39. | डुरम गेहूं | पूसा गेहूं 8777 (एचआई 8777) | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
| 40. | जी | सेट्रल जी डीडब्ल्यूआरवी 137 | राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल (गर्वेत को छोड़कर), ओडिशा, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों के मैदानों के मध्य प्रदेश, गुजरात, कोटा और उदयपुर प्रभाग। |
| 41. | जी | जे-1055 (प्रधर) | उत्तर प्रदेश |
| 42. | मङ्गा | गुजरात आनंद सफेद मङ्गा संकर -2 (जीएडब्ल्यूएमएच-2) | गुजरात। |
| 43. | मङ्गा | लक्किमान-5 (एमएचक्यूपीएम 09-08) | खरीक और रबी दोनों मौसम में उत्तर प्रदेश, विहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उडीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु तेलंगाना, औषध प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के साथा क्षेत्र। |
| 44. | मङ्गा | सी.पी. 999 | कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र |
| 45. | मङ्गा | सी.पी. 838 | पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, विहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उडीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु तेलंगाना, औषध प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के साथा क्षेत्र। |
| 46. | मङ्गा संकर | एमएम 9344 (डीएमएच 192) | कर्नाटक, महाराष्ट्र, औषध प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। |
| 47. | मङ्गा संकर | एडीवी-756 (एडीवी 0990296) | कर्नाटक, महाराष्ट्र, औषध प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। |
| 48. | मङ्गा संकर | एचटीएमएच 5108 | कर्नाटक, महाराष्ट्र, औषध प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। |
| 49. | मङ्गा | एचटीएमएच 5109 (एचटी 51412616) | कर्नाटक, तेलंगाना, औषध प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। |
| 50. | मङ्गा | ट्रॉप कलास (केएमएच 1411) | रबी सीजन में खेती के लिए विहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश। |
| 51. | मङ्गा | जीके 3150 | राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। |
| 52. | मङ्गा | जीके 3155 | विहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए रबी के मौसम में। |

| | | | कलान्तिका। |
|------|-------------|--|--|
| 106. | मुंगफली | जीनेजी 33 (गुजरात बूनागड मूंगफली 33) | बांध प्रदेश, लेलगांव और तमिलनाडु। |
| 107. | भारतीय सरसो | पुस्ता कलन जीरो सरसो 31 (पीडीवेड-1) | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एमओ नं. 2238 (ह) हाईकोर्ट 29 जून, 2016 को वल्टीवर पहले ही विधिसुचित किया जा चुका है। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बस्तु और उत्तरी राजस्थान के राज्यों के लिए क्षेत्रीय विस्तार के लिए सिफारिश की गई है। |
| 108. | भारतीय सरसो | बारात्र 725 | बस्तु, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान। |
| 109. | भारतीय सरसो | सीएस 60 (सीएस2800-1-2-3-5-1) | हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। |
| 110. | बरहर | जीएनपी -2 (जीपी-06-33) | गुजरात। |
| 111. | बरहर | जीआरपी 811 (धर्मेंद्र) | बलान्तिका। |
| 112. | बरहर | पुस्ता बरहर 16 (पीएडीटी 16) | एससीटी दिल्ली। |
| 113. | चिक-बीन | पुस्ता 3043 (जीनी 3043) | बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश। |
| 114. | उत्तर बीन | मुंगुंदर उत्तर-2 (जीपीयू 405) | राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के बैदान। |
| 115. | मूंग बीन | बरस (जीएम 2328) | उत्तर प्रदेश। |
| 116. | मूंग बीन | पुस्ता 1431 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विभागी। |
| 117. | मौंग बीन | आरएमओ - 2251 (मरुधर) आरएमओ-225-1-6-3) | उत्तरी ज़ोन के मौंग फैदा करने वाले सभी ज़ोन। |
| 118. | म्बार | करण गुजार-1 (आरजीआर-12-1) | राजस्थान। |
| 119. | हुरा चना | मुंगरात आनंद मूंग बीन-5) (जीएम-5 | गुजरात। |
| 120. | ताल चना | सीओ 8 | तमिलनाडु। |
| 121. | कलन चना | एजीटी 6 | तमिलनाडु। |
| 122. | ठडव | जैक चाम केकेएम 1 | तमिलनाडु। |
| 123. | बालाच चना | जीबीएन 8 (जीबीजी 09-006) | बांध प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा। |
| 124. | मसूर | एस 4727 | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों। |
| 125. | मसूर | कोटा मसूर 2 (आरकेएस 14-20) | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों। |
| 126. | मसूर | आईपीएस 220 | पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल। |
| 127. | चबमा | कोटा राजमा 1 (आरकेआर 1033) | गुजरात, महाराष्ट्र और विहिरी राजस्थान। |
| 128. | फील्ड मटर | पंत मटर 250 | पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड। |
| 129. | फील्ड मटर | पंत मटर 243 | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों। |
| 130. | फील्ड मटर | केंटीव लेन्ड मटर आईपीएफी 2014-2 | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों। |
| 131. | चारा लोकिया | जीओ 9 | तमिलनाडु। |
| 132. | लोकिया | करन चांबला (जीपीटी 119) | राजस्थान। |



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 2948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/BHADRA 15, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

का.आ. 3220(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी के शीजों के प्रकारों की गुणवत्ता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) के अधीन तत्स्थानी प्रविधियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि शीजों की उक्त किसी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किसी होगी और उक्त सारणी के स्तंभ (4) के अधीन तत्स्थानी प्रविधियों में उल्लिखित राज्यों में कृषि प्रयोजन के लिए विकित की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं. | किसी | प्रकार | विकित के लिए अनुशंसित राज्य |
|---------|------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | चावल | भूपेश (आईईटी 23324) (सीएन 1752-18-1-9-एमएलडी19) | बिहार, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमिलनाडु। |
| 2. | चावल | मनीषा (आईईटी 23770) (सीएन-2015-5-4) | पश्चिम बंगाल। |
| 3. | चावल | जीएनवी 10-89 (आईईटी 24716) | कर्नाटक। |
| 4. | चावल | जीएनआर-6 (एनवीएसआर-2031) | गुजरात। |
| 5. | चावल | जीएनआर-7 (एनवीएसआर-6128) | गुजरात। |
| 6. | चावल | शालीमार चावल-4 (एसकेयूए-408) | जम्मू - कश्मीर। |

| | | | |
|-----|---------------------|--|---|
| 75. | कालुली चना | आईपीसी 2006-77 | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान (रक्षिणी क्षेत्र) |
| 76. | मूँग | बीवीएन४ (बीजीजी 10-008) | तमिलनाडु |
| 77. | अलसी | एलएसएल-93 | महाराष्ट्र |
| 78. | अलसी | सूर्या (एलसीके-1404) | जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा |
| 79. | मूँगफली | गुजरात ग्राउडनट-34 (जीजी 34) (एजी-2012-06) | गुजरात |
| 80. | मूँगफली | थीरज (TCGS 1073) | आंध्र प्रदेश |
| 81. | मूँगफली | बीएसआर 2 (बीएसजी 0912) (आईएनएस 1 2013-8) | तमिलनाडु |
| 82. | मूँगफली | फुले धानी (जेएन 1085) | तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक |
| 83. | मूँगफली | फुले उन्नति (आरएचआरजी-6083) | महाराष्ट्र |
| 84. | सरसों | टीएमवी-204 (ट्रॉम्बे विद्यान मस्टर्ड-204) (टीएम-204) | पश्चिम बंगाल |
| 85. | भारतीय सरसों (संकर) | केसरी गोल्ड (31जे 3403) | पश्चिम बंगाल |
| 86. | भारतीय सरसों (संकर) | केसरी 5111 (पीसीजे 03-401) | पश्चिम बंगाल |
| 87. | भारतीय सरसों (संकर) | बयेर मस्टर्ड 5222 (प्रो 5222) | पश्चिम बंगाल |
| 88. | भारतीय सरसों | आरएच 761 | जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान (उत्तरी क्षेत्र) |
| 89. | भूरा सरसों | शालीमार सरसों-2 (केबीएस-49) | जम्मू - कश्मीर |
| 90. | भूरा सरसों | शालीमार सरसों-3 (केबीएस-3) | जम्मू - कश्मीर |
| 91. | अरंडी | गुजरात आनंद केस्टर-11 (बीएसी 11) | गुजरात |
| 92. | अरंडी संकर | आईसीएच-66 | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा |
| 93. | सोयाबीन | एएमएस-1001 (पीडीकेवी येलो गोल्ड) | महाराष्ट्र |
| 94. | सोयाबीन | शालीमार सोयाबीन-1 (एनीआर/538) | जम्मू - कश्मीर |
| 95. | सोयाबीन | जवाहर सोयाबीन 20-116 (जेएस 20-116) | असम और पूर्वोत्तर राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का मराठबाड़ा और विवर्भ क्षेत्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। |
| 96. | सोयाबीन | जवाहर सोयाबीन 20-94 (जेएस 20-94) | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुदेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का मराठबाड़ा और विवर्भ क्षेत्र। |



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ३४६]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी २४, २०१८/माघ ४, १९३९

No. ३४६]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2018/MAGHA 4, 1939

कृपि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृपि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, २४ जनवरी, २०१८

का.आ. ३९९(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, १९६६ (१९६६ का ५४) की आरा ५ द्वारा प्रबलता अन्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात, यह राय होने पर कि नीचे वी सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किसी के बीजों के प्रकारों की स्वास्थ्यता, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविधियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किसी उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृपि प्रयोजनों हेतु विकल्प लिए जाने के लिए अधिसूचित किसी होंगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किसी होंगी, अधिकारी:-

तालिका

| क्र.सं. | प्रकार | किसी | राज्य |
|---------|---------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | चावल | आर.सी. मणिपुरो-१३ (आरसीएम -३०), आईईटी २४२०० | मणिपुर |
| 2. | ब्रानसी | जैएलएम -६६ (एमएलएम ६६) | मध्य प्रदेश |
| 3. | चावल | सीएन १२७२-५५-१०५ (आईईटी १९८८६) | पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, बांग्ल प्रदेश और कर्नाटक |
| 4. | चावल | सीआर धान ४०८ (चाकाची) | ओडिशा। |

| | | | |
|-----|----------------|---|--|
| | | (आईईटी 20265) (सीआर 491-1590-330-2-1) | |
| 5. | गवाह | मीओबीएसआई 03102 | महाराष्ट्र। |
| 6. | मूंगफली | फुले वारणा (केडीजी 128) | तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र (जोन V) के लिए स.आ. 3540 (अ) दिनांक 22.10.2016 के द्वारा पहले ही अधिसूचित कर दिया गया और अब गुजरात और राजस्थान (जोन II) के क्षेत्र विस्तार के लिए अनुशंसित है। |
| 7. | मूंगफली | फुले मोर्ना (केडीजी 123) | गुजरात और राजस्थान (जोन II) के लिए स.आ. 3540 (अ) दिनांक 22.10.2016 के द्वारा पहले ही अधिसूचित कर दिया गया और अब ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मणिपुर गुजरात और राजस्थान (जोन IV) और तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और दक्षिण महाराष्ट्र (जोन V) के लिए के क्षेत्र विस्तार के लिए अनुशंसित है। |
| 8. | चावल | सुरभी (आईईटी 24760) | महाराष्ट्र और गुजरात |
| 9. | चावल | केपीएच -459) (आईईटी 24888) - वाणिज्यिक बीज उत्पादन के समय नाम का प्रस्ताव दिया जाएगा) | गुजरात और महाराष्ट्र |
| 10. | चावल | टीकैम 13 (टीएम 07275) (आईईटी 22565) | गुजरात और महाराष्ट्र |
| 11. | चावल | केपीएच-473) (आईईटी 24825) | छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र |
| 12. | चावल हाइब्रिड | बीआईओ 799 (आईईटी 22919) (बीआईओ-453) | ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। |
| 13. | चावल | एमआरपी 5408 (एमईपीएच 114 (आईईटी 24143) | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी |
| 14. | चावल | सीआर धान 909 (आईईटी 23193) (सीआरएल 74-89-2-4-1) | असम, बिहार और उत्तर प्रदेश (जोन -III) और महाराष्ट्र (जोन -IV)। |
| 15. | गेहूँ | के-1317 | पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम |
| 16. | मक्का | जेकेएमएच - 4848 (आईएमआर 498) | महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। |
| 17. | मक्का हाइब्रिड | डीएमआरएच-1301 (रबी-सिंचित स्थिति) | एनईपीजेड - पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल और सीडब्ल्यूजेड - राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (जोन III और V)। |
| 18. | मक्का हाइब्रिड | डीएमआरएचपी-1402 (खरीफ पौष्पकोर्न) | एनडब्ल्यूपीजेड - पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सीडब्ल्यूजेड - राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। (जोन II और V) |

| | | | |
|-----|-------|---------------------------------------|-----------------|
| 37. | मसूर | लेखर 4 (केएनवी 345) | उत्तर प्रदेश |
| 38. | मसूर | लेखर 5 (केएनएस 122) | उत्तर प्रदेश |
| 39. | राजमस | शालीनार राजमस -2 (एसकेप्यू-आर-132) | जम्मू और कश्मीर |
| 40. | कपास | के-12 | तमिलनाडु |
| 41. | गन्ना | सीओसी 25 | तमिलनाडु |

[संख्या. 3-59/2017-बीज.IV]

डॉ. वी.राजेन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2018.

S.O. 399(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, is of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties to be sold for purpose of agriculture for the States mentioned in column (4) of the said Table and shall be the notified varieties for the whole of India for the purposes of the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

TABLE

| Serial Number | Kind | Variety | States |
|---------------|-----------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Rice | RC Maniphou-13 (RCM-30), IET 24200) | Manipur. |
| 2. | Linseed | JLS-66 (SLS 66) | Madhya Pradesh. |
| 3. | Rice | CN 1272-55-105 (IET 19886) | West Bengal, Bihar, Odisha, Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka. |
| 4. | Rice | CR Dhan 408 (Chakaakhi) (IET 20265) (CR491-1590-330-2-1) | Odisha. |
| 5. | Sugarcane | CoVSI 03102 | Maharashtra. |
| 6. | Groundnut | Phule Warna (KDG 128) | Already notified vide S.O. No.3540 (E) dated 22.10.2016 for Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Southern Maharashtra (Zone V) and now recommended for area extension for Gujarat and Rajasthan (Zone II). |
| 7. | Groundnut | Phule Morna (KDG 123) | Already notified vide S.O. No.3540 (E) dated 22.10.2016 for Gujarat and Rajasthan (Zone II) and now recommended for area extension i.e. for Odisha, West Bengal, Jharkhand, Manipur (Zone IV) and Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Southern Maharashtra (Zone-V). |

रजिस्टरी सं० फॉ० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 898]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939

No. 898]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

का.आ. 1007(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की नवालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजनों हेतु विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :—

सारणी

| क्र. सं. | फसल | किस्म | राज्य |
|----------|------|-----------------------------------|---|
| 1. | चावल | एचआरआई -183 (एराईज स्विफ्ट गोल्ड) | हरियाणा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और गुजरात |
| 2. | चावल | एचआरआई -180 (एराईज तेज़ गोल्ड) | पंजाब, हरियाणा और उत्तराखण्ड |
| 3. | चावल | पीए6129 (एराईज 612 9) | मध्य प्रदेश |
| 4. | चावल | बीएस 12 9 जी (एराईज 612 9 गोल्ड) | छत्तीसगढ़ |
| 5. | चावल | 28 पी 0 9 | ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, असम, |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 69. | चना | धीरा (एनबीईजी 47) | आंध्र प्रदेश |
| 70. | चना | गुजरात ग्राम 5(सीजीसी 0809) | जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और पूर्वोत्तर पहाड़ी लेक्ष |
| 71. | चना | मीरा (बीएनजी-2171) | पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड |
| 72. | लोविया | फूले रखुमाई(सीसीपी 0306-1) | दक्षिण ज्वोन |
| 73. | लोविया | तिरुपति लोविया - 1 (टीपीटीसी-29) | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओविशा |
| 74. | लोविया | डीसी-15 | कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल |
| 75. | मसूर | पंत मसूर-9 (पीएल 098) | उत्तराखण्ड |
| 76. | मसूर | आरबीएल 11-6 | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान |
| 77. | मसूर | एल-4717 (पूसा अगेती मैसूर) | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ |
| 78. | फावा बीन | एचएफबी-1 (एचबी -82) | हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ |
| 79. | फील्ड पी /मटर | सेंट्रल फील्ड पी आईपीएफडी 12-2 (आईपीएफडी 12-2) | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। |
| 80. | फील्ड पी /मटर | पंत पी-155 (पंत पी -155) | उत्तराखण्ड |
| 81. | मूँग | पूसा 1371 | त्रिपुरा, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। |
| 82. | मूँग | पंत मूँग 8 (पीएम 09-6) | उत्तराखण्ड |
| 83. | कुल्थी | छत्तीसगढ़ कुल्थी (बीएचजी-03) | छत्तीसगढ़ |
| 84. | अरहर (तूर) | अमरावती (एलआरजी-52) | आंध्र प्रदेश |
| 85. | भारतीय सरसों (ब्रैसिका जुनसिया (एल.) ज़ेर्न | सीएस-58 (सीएस 1100-1-2-2-2-3) | हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश |
| 86. | सरसों (ब्रैसिका जुनसिया (एल.) ज़ेर्न | पंत राम 21 (पीआरबी 2008-5) | उत्तराखण्ड |
| 87. | मूँगफली | केंद्रीय मूँगफली एएलजी-06-320 (एएलजी -06-320) | तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश , |
| 88. | मूँगफली | कादिरी अमरवती (के 1535) | आंध्र प्रदेश , |
| 89. | बलसी | इंदु (एलसीरी 1108) | उत्तर प्रदेश |
| 90. | बलसी | उमा (एलके 1101) | उत्तर प्रदेश |
| 91. | तारामिरा (इरुका सेटिवा मिल) | झाँबनेर तारा (आरटीएम-1351) | राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखण्ड और महाराष्ट्र |



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2122]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2015/आस्विन ९, १९३७

No. 2122]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2015/ASVINA ९, १९३७

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, १ अक्टूबर, 2015

का.वा. 2680 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वैज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय वैज समिति में वरामर्थ के पश्चात, यह राय होने कि नीचे की सारणी के संभ (3) में विनिर्दिष्ट किसी के बीचों की नवालिटी, जो उसके सारणी के संभ (2) में तत्स्थानी प्रविधियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के है, का विनियमन करना आवश्यक और समीक्षीय है, यह घोषित करती है कि बीचों की उक्त किसी के संभ (4) में उन्निवित्त राज्यों के लिए कृषि प्रयोजनों के लिए विकास किए जाने के लिए अधिसूचित किसी होंगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किसी होंगी, अर्थात्—

सारणी

| क्र.सं. | प्रकार | किसी | राज्य |
|---------|-------------|---------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | बासमती चावल | पूर्ता बासमती 1609 (आई ई टी 22778) | दिल्ली, उत्तराखण्ड, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश |
| 2. | चावल | विरसा विकास सूरांगा-1 (आई ई टी 18941) | झारखण्ड |
| 3. | चावल | पंथ धान 24 (आई ई टी 22096) | ओडिशा और बिहार |
| 4. | चिनी धान | बुदेल गुनिया - 4 (वे एच जी जी 08-01) | देश के नव / दंजर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र |

| | | | |
|-------|-------------|---------------------------------|--|
| 27. | अमरीकी कपास | एच 1353 | महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात |
| 28. | केनाफ | बिमल (जे बी एम वी-4) | मध्य और हाईलैंड बारानी कुपि परिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयुक्त |
| 29. | रोसल | समपूरना (सी आर आई जे ए एफ आर 8) | भारत की मेस्टा उगाने वाली पट्टी के लिए अनुकूलित |
| 30. | मूँग चीन | एम एच 318 | हरियाणा |
| ✓ 31. | मसूर | के एल वी 2008-4 (कृति) | उत्तर प्रदेश |
| ✓ 32. | मसूर | के एल एग-09-3 (कृष्ण) | उत्तर प्रदेश |
| 33. | अलसी | कोटा बरानी अलसी-3 | राजस्थान |

[सं. 3-47/2015-एसडी.IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2015

S.O. 2680(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, is of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties to be sold for purposes of agriculture for the States and regions mentioned in column (4) of the said Table and shall be the notified varieties for the whole of India for the purposes of the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely:—

TABLE

| Serial number (1) | Kind (2) | Variety (3) | States and Regions (4) |
|----------------------|----------------|------------------------------------|---|
| 1. | Basmati Rice | Pusa Basmati 1609 (IET 22778) | Delhi, Uttarakhand, Punjab and Western Uttar Pradesh, |
| 2. | Rice | Birsa Vikas Sugandha-I (IET 18941) | Jharkhand. |
| 3. | Rice | Pant Dhan 24 (IET 22096) | Odisha and Bihar under irrigated transplant condition in kharif season. |
| 4. | Guinea Grass | Bundel Guinea - 4 (JHGG 08-1) | Humid/arid tropical and sub-tropical areas of the country. |
| 5. | Indian Mustard | Pant Rai-20 | Uttarakhand. |
| 6. | Fodder cowpea | Bundel Lobiya - 4 (IL-1177) | North Eastern region under rainfed condition. |
| 7. | Rice | Kalachampa | Odisha. |
| 8. | Urd bean | Indira Urd Pratham (RU 03-14) | Chhattisgarh. |



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 945।

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2014/वैशाख 5, 1936

No. 945।

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2014/VAISAKHA 5, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि और महावरिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2014

का.आ. 1146(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से वरामर्ण के पश्चात्, वह राय होने पर कि नीचे की सारणी के संघ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्षालिटी, जो उक्त सारणी के संघ (2) में तत्कालीन प्रीक्षिटियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करता आवश्यक और समीचीन है, वह घोषित करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के संघ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजनों हेतु विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात्:-

सारणी

| क्र.सं. | प्रकार | किस्म | राज्य/क्षेत्र |
|---------|--------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | बी० | बीएल बी 118 (बीएलबी 118) | जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झज्जाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और किंपुरा। |
| 2 | गेहूँ | इथ्यूएचडी 948 | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
| 3 | गेहूँ | एमएचआईएटीएस- डब्ल्यू 6 (एएआई-डब्ल्यू 6) | उत्तर प्रदेश |

| | | | |
|----|----------------------------|---|---|
| 4 | चावल | सीआर धान 300 (सीआर 2301-5) (आईटी 19816) | महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार और गुजरात |
| 5 | जवार | एचजे 541 | हरियाणा |
| 6 | मूँग | एमएच 421 | उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखण्ड। |
| 7 | सोयाबीन | जेएस 20-29 | मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। |
| 8 | सोयाबीन | जेएस 20-34 | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। |
| 9 | चना | जेनी-12 | मध्य प्रदेश |
| 10 | कुनैटी | कृष्णपाल (सीआरएचबी 19) | ओडिशा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु |
| 11 | करसीम | हिंसार करसीम 2 (एचबी 2) | हरियाणा |
| 12 | बाजरा नेपियर धान (संकर) | सीओ (बीएस) 5 (टीएचसीएस 074) | पूर्व देश में |
| 13 | जौ | रीढ़खल्यांजारबी-92 | पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। |
| 14 | गेहूँ | के 0607 | उत्तर प्रदेश |
| 15 | चावल | सीआर धान 303 (सीआर 2549-7) (आईटी 21589) | मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा |
| 16 | मक्का (संकर) | पी 3522 (एक्स 35ए019) | पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, झारांगुड, ओडिशा, ओडिशा प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। |
| 17 | बाजरा | धनशक्ति (आईसीटीपी 8203 एचबी 10-2) | महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। |
| 18 | ममूर | राज विजय ममूर 31 (जेएस 31) | मध्य प्रदेश |
| 19 | सोयाबीन | राज विजय सोयाबीन 2001-4 (आरबीएस 2001-4) | मध्य प्रदेश |
| 20 | अरहुर (संकर) | आईसीपीएच 2671 | मध्य प्रदेश |
| 21 | चावल | एआरबी 6 | कर्नाटक |
| 22 | राशी | केएमआर 204 | कर्नाटक |
| 23 | अरहुर | बीआरबी-4 (बीआरबी 10-2) | कर्नाटक |
| 24 | सोयाबीन | एमएक्स-2 (पुवा) | कर्नाटक |
| 25 | बाजरा (चारा) | न्यूट्रिफीड (पीएसी-981) | पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश |
| 26 | चावल (संकर) | पीएसी 801 | उत्तर प्रदेश |

[का. सं. 3-34/2014-एक्स-IV]
अतनु पुरकायरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2014

S.O. 1146(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, is of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1543]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2014/आषाढ़ 9, 1936

No. 1543]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2014/SHRAVANA 9, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2014

का.आ. 1919 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविद्धियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह अधिसूचित करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजनों हेतु विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बीज उत्पादन और क्वालिटी नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात्—

सारणी

| क्र.सं. | प्रकार | विस्त्र | राज्य/शहर |
|---------|-------------|---------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मरका | सीलोग्रन्थ (एम) 7 (सीएमएच 08-287) | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, ओष्ठ प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र |
| 2. | मरका | सीलोग्रन्थ (एम) 8 (सीएमएच 08-292) | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, ओष्ठ प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, खर्दीमगढ़, वैदाच, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र |
| 3. | यिनी यात्रा | सीलो (वीजी) 3 (टीएनवीजी 062) | समूचे देश |
| 4. | चावल | सीआर धान 201 (आईईटी 21924) | छत्तीसगढ़ और बिहार |
| 5. | चावल | सीआर धान 202 (आईईटी 21917) | झारखंड और ओडिशा |
| 6. | चावल | सीआर धान 304 (आईईटी 22117) | ओडिशा और परिचन बंगाल |
| 7. | चावल | सीआर धान 305 (आईईटी 21287) | झारखंड, महाराष्ट्र, ओष्ठ प्रदेश और तेलंगाना |
| 8. | चावल | सीआर धान 407 (आईईटी 21974) | ओडिशा और परिचन बंगाल |
| 9. | चावल | सीआर धान 505 (आईईटी 21719) | ओडिशा और बस्त |
| 10. | संकर कुनूम | एनएआरआई-एम-23 | महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल |
| 11. | सोरधम | सीएक्सएच 32 (एसपीएच 1674 / हीजे 2004) | महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाप्रदेश, कुंभगढ़, ओष्ठ प्रदेश और तेलंगाना |
| 12. | मैदू | इन्स्यूएच 1124 | फ़जाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड |
| 13. | जी | बीएच 946 | फ़जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखण्ड और जम्मू एवं कश्मीर |
| 14. | मैदू | नरेन्द्र मैदू 5054 | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, अण्डमान और निकोबार, मेघालय, शियुरा, नागालैंड, असमाख्य इंडेश और निकिम |
| 15. | बन्दा | संकरेत्यर 049 (वीजो एसएक्स 05103) | ओष्ठ प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश |
| 16. | बन्दा | संकरेत्यर 814 (वीजो स एसएक्स 05104) | ओष्ठ प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश |
| 17. | मैदू | ₹ 1006 | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, अण्डमान और निकोबार, मेघालय, शियुरा, नागालैंड, असमाख्य इंडेश और निकिम |
| 18. | मरका | सीलोग्रन्थ (एम) 9 (सीएमएच 08-350) | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ |
| 19. | जी | पूरा नीलम (वीएचएस 400) | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, असम, अण्डमान और निकोबार, मेघालय, शियुरा, नागालैंड, असमाख्य इंडेश और निकिम |

विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) तारीख 19 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2817(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

| क्रम संख्याक्र. | प्रकार | क्रिम | राज्य |
|-----------------|------------|----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "38. | संकर मक्का | बायो 9544 (बायो 151) | जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, झांधु प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। |

[फा. सं. 3-36/2014-एसडी. IV]

अटानु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2817(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2014

S.O. 1921(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, number S.O. 2817(E), dated the 19th September, 2013 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th September, 2013, namely:—

In the Table to the said notification, for serial number 38 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

| Serial Number | Kind | Variety | States |
|---------------|--------------|-----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "38. | Maize Hybrid | BIO 9544 (BIO 151) | Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Chhattisgarh". |

[F. No. 3-36/2014-SD.IV]

ATANU PURKAYASTHA, Jr. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification No. S.O. 2817(E), dated the 19th September, 2013.